[26/7/2022]

परिशिष्ट सं. क्र. 227]

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

परिशिष्ट-अ

क्र 986 /319/2019/50-2/ए.एन. भोपाल, दिनांक 25/02/2019

प्रति,

कलेक्टर
जिला समस्त
मध्यप्रदेश

विषय:- किराये पर संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन किराये का निर्धारण।
संदर्भ:- विभागीय पत्र क्र 1908-1909 दिनांक 10.8.18

संदर्भित पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश में किराये पर संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रो का किराया निर्धारण संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे।

विभागीय आदेश कमांक एफ 3/7/2018/50-2, भोपाल दिनांक 20.09.2018 द्वारा भारत सरकार के पत्र कमांक 11-36/2016-सी.डी.। दिनांक 23 नवम्बर 2017 के अनुकम में ऑगनवाड़ी सेवा योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 में निरन्तर संचालित रखने की स्वीकृति दी गई है।

भारत सरकार द्वारा पत्र कमांक 11-36/2016-सी.डी.। दिनांक 23 नवम्बर 2017 द्वारा शहरी क्षेत्र के किराये के ऑगनवाड़ी केन्द्रों हेतु राशि रुपये 4000/-प्रतिमाह एवं ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र के किराये के ऑगनवाड़ी केन्द्र/मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र हेतु राशि रुपये 1000/-प्रतिमाह निर्धारित किये गये है।

अतः संदर्भित पत्र द्वारा जारी आदेश को संशोधित करते हुये निम्नानुसार शर्तो पर भारत सरकार द्वारा बढ़ी दर अनुसार किराये पर भवन लिये जाने की कार्यवाही की जावें-

1. किराये पर लिये जाने वाले आंगनवाड़ी भवन का क्षेत्रफल Super Built up Area सहित कम से कम 500 से 600 वर्ग फीट तथा Carpet Area कम से कम 300 वर्ग फीट होना चाहिये। इतनी भी जगह उपलब्ध न होने पर किराये में समानुपातिक कमी की जाकर किराये पर आंगनवाड़ी केन्द्र लिया जा सकता है। किन्तु किसी भी स्थिति में 200 वर्ग फीट से कम Carpet Area पर आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन नहीं किया जायेगा।
2. किराये पर लिये जाने वाले आंगनवाड़ी भवन में बच्चों के बैठने व अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान वाले कक्ष के साथ ही पोषण आहार भण्डारण, शौचालय, पानी एवं यथासंभव बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिये।
3. किराये पर संचालित होने वाले ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र जिनमें उपरोक्तानुसार स्थान एवं व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं उन्हे तत्काल उक्त सुविधायुक्त भवनों में स्थानांतरित किया जाये अथवा भवन मालिक को 6 माह का समय दिया जाये जिससे भवन मालिक किराये पर दिये जाने वाले भवन में उपरोक्तानुसार स्थान एवं व्यवस्थाओं का निर्माण कर सके। इस अवधि में बढ़ी हुई दर से किराया भुगतान नहीं किया जाये।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

सहायक संचालक
संचालनालय महिला एवं बाल विकास
भोपाल (म.प्र.)

4. भवन यथासंभव आंगनवाड़ी सर्वे जनसंख्या के मध्य में होना चाहिये जिससे बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र आने जाने में कोई कठिनाई न हो।
5. भवन किराया उन्हीं आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु देय होगा जो विभागीय अथवा अन्य शासकीय भवनों में संचालित नहीं है।

नगरीय निकायों के अंतर्गत किराये पर संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु किराये की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी–

क	नगर/शहर का प्रकार	अधिकतम किराया
1	नगर पालिक निगम के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र	रु 4000 प्रतिमाह
2	नगर पालिका के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र	रु 3000 प्रतिमाह
3	नगर पंचायत के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र	रु 2500 प्रतिमाह

उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए किराया निर्धारण हेतु प्रकिया निम्नानुसार होगी–

क	स्थान का प्रकार	अधिकतम किराया	किराया निर्धारण हेतु विहित प्राधिकारी
1	नगर पालिक निगम के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र	रु 2000 प्रतिमाह तक	बाल विकास परियोजना अधिकारी
		रु 3000 प्रतिमाह तक	जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
		रु 3000 प्रतिमाह से अधिक	जिला कार्यकम अधिकारी, के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर
2	नगर पालिका के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र	रु 2000 प्रतिमाह तक	बाल विकास परियोजना अधिकारी
		रु 2500 प्रतिमाह तक	जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
		रु 2500 प्रतिमाह से अधिक	जिला कार्यकम अधिकारी, के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर
3	नगर पंचायत के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र	रु 1500 प्रतिमाह तक	बाल विकास परियोजना अधिकारी
		रु 2000 प्रतिमाह तक	जिला कार्यकम अधिकारी, के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर
		रु 2000 प्रतिमाह से अधिक	जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
4	ग्राम पंचायत/ग्राम के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र	रु 1000 प्रतिमाह तक	बाल विकास परियोजना अधिकारी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

सहायक संचालक
संचालनालय महिला एवं बाल विकास
भोपाल (म.प्र.)

उपरोक्तानुसार किराये पर लिये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवन किराया हेतु सक्षम अनुमोदन उपरांत बाल विकास परियोजना अधिकारी, भवन मालिक एवं संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मध्य सादे कागज पर त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। इस प्रकार आंगनवाड़ी भवन के रखरखाव एवं आस पास की साफ–सफाई के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उत्तरदायी होगी। अनुबंध निष्पादन उपरांत किराये के भवन का सम्पूर्ण विवरण यथा किराये की राशि, भवन मालिक का नाम, बैंक अकाउंट एवं आधार नम्बर, IFSC कोड तथा भवन मालिक का मोबाइल नम्बर विभागीय आनलाईन एमआईएस में दर्ज कराया जायेगा। तदुपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियमित रुप से मासिक भवन किराया कोषालय के माध्यम से भवन मालिक के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार मापदण्डों एवं प्रक्रिया अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन किराये का निर्धारण, व्यवस्थापन एवं नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.ठाकुर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठांकन क 987 /319/2019/50–2/ए.एन
भोपाल दिनांक 25/02/2019

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग,
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग,
3. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय
4. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त, मध्यप्रदेश
5. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, सम्भाग समस्त, मध्यप्रदेश
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला समस्त, मध्यप्रदेश
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त, मध्यप्रदेश
8. अनुभाग अधिकारी/गार्ड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं पालन हेतु।

उप सचिव 25.2.19
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

8401
26-2-2019
S.D(MD)
AD(SS)

सहायक संचालक
संचालनालय महिला एवं बाल विकास
भोपाल (म.प्र.)